अनुक्रमणिका

क्रमांक			पृष्ठ
1.		प्रस्तावना	
2.	अध्याय—1—	लोकायुक्त संगठन की विशिष्ठियाँ, कृत्य एवं कर्तव्य	
3.	अध्याय—2—	लोकायुक्त संगठन के पदाधिकारी/अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियाँ एवं कर्तव्य	
4.	अध्याय—3—	लोकायुक्त संगठन में कार्य निष्पादन हेतु निर्धारित प्रक्रिया/प्रतिमान	
5.	अध्याय—4—	लोकायुक्त संगठन के अंतर्गत संधारित नियम, विनियम, अनुदेशों का विवरण	
6.	अध्याय—5—	लोकायुक्त संगठन में संधारित पंजियों व दस्तावेजों का विवरण	
7.	अध्याय—6—	नीति निर्धारण व कार्यान्वयन के संबंध में जन या जन – प्रतिनिधि से परामर्श के लिये बनाई गई व्यवस्था का विवरण	
8.	अध्याय—7—	लोकायुक्त संगठन के अंतर्गत गठित संभागीय सतर्कता समितियाँ	
9.	अध्याय—8—	लोकायुक्त संगठन के पदाधिकारी एवं अधिकारियों की निदेशिका	
10.	अध्याय—9—	संगठन के पदाधिकारी, अधिकारी एवं कर्मचारियों को प्राप्त मासिक वेतन का विवरण	
11.	अध्याय—10—	लोकायुक्त संगठन को आवंटित बजट	
12.	अध्याय—11—	अनुदान, सहायता कार्यक्रमों के अंतर्गत व्यय राशि व लाभांवितों से संबंधित जानकारी	
13.	अध्याय—12—	इलेक्ट्रानिक रूप में उपलब्ध जानकारी	
14.	अध्याय—13—	सूचना प्राप्त करने के लिये नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं का विवरण	
15.	अध्याय—14—	लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम एवं अन्य विशिष्ठियाँ	
16.	अध्याय—15—	अन्य उपयोगी जानकारियाँ	

प्रस्तावना

1.0 भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में संसद द्वारा पारित सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 जिसे महामहिम राष्ट्रपति महोदय द्वारा 15 जून 2005 को स्वीकृति दी गई एवं जिसे मध्यप्रदेश शासन द्वारा दिनांक 12.10.2005 से प्रदेश में लागू किया गया है, के अनुपालन में लोकायुक्त संगठन के क्रियाकलापों से संबंधित जानकारी जनसाधारण के लिये उपलब्ध कराई जा रही है।

2.0 प्रस्तुत जानकारी का उद्‌देश्य लोकायुक्त संगठन के दायित्वों, संगठन में पदस्थ पदाधिकारियों/अधिकारियों/कर्मचारियों की जानकारी, उनके कर्तव्यों तथा संगठन में उपलब्ध अभिलेखों के संबंध में जानकारी उपलब्ध करा कर लोकायुक्त संगठन के क्रियाकलापों में पारदर्शिता लाना है।

3.0 प्रस्तुत जानकारी जन साधारण, शासकीय/अर्ध शासकीय विभागों के लिये उपयोगी होने की संभावना है।

1.4 लोकायुक्त संगठन द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4(1) (बी) के तहत निर्धारित प्रारूप अनुसार जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है, जिसे समय–समय पर अद्यतन किया जावेगा।

1.5 प्रस्तुत जानकारी में उपयोग किये गये शब्दों की परिभाषायें सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अध्याय–1 में दी गई परिभाषा के अनुसार है।

1.6 लोकायुक्त संगठन से संबंधित विस्तृत जानकारी संगठन के सूचना अधिकारी जिनका विवरण अध्याय–8 में उल्लेखित है, से कार्यालयीन समय में संपर्क कर प्राप्त की जा सकती है।

1.7 लोकायुक्त संगठन से सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करने का प्रारूप व निर्धारित शुल्क का विवरण अध्याय–8 के अंतर्गत है।

1.8 लोकायुक्त संगठन की विस्तृत जानकारी संगठन की वेबसाईट http//www.mplokayukt.nic.in में भी प्रथक से उपलब्ध है।

अध्याय–1

लोकायुक्त संगठन की विशिष्ठियाँ, कृत्य एवं कर्तव्य
(सूचना के अधिकार की धारा 4 (1) (b) (i) के अंतर्गत)

1. लोकायुक्त संगठन की स्थापना फरवरी 1982 में की गई। संगठन की स्थापना का उद्‌देश्य भ्रष्टाचार तथा पद से संबंधित अधिकारों के दुरूपयोग को रोकने का रहा है। भारत में प्रजातंत्र की स्थापना के बाद लगातार विभिन्न स्तरों पर इस बात पर विचार किया जाता रहा है कि एक उत्तरदायी कल्याणकारी शासन व्यवस्था में इस प्रकार की स्वतंत्र मशीनरी की स्थापना आवश्यक है जो कार्यपालिका के प्रभाव क्षेत्र से बाहर जनशिकायतों का निराकरण कर सके। इस संगठन की स्थापना के लिये मूलतः एक विधेयक मध्यप्रदेश विधानसभा द्वारा वर्ष 1975 में पारित किया गया था किन्तु केन्द्र सरकार द्वारा लोकपाल विधेयक में कतिपय परिवर्तन विचाराधीन होने के कारण इस पर महामहिम राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त नहीं हो सकी। भारत सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के प्रकाश में राज्य के विधेयक पर भी पुनर्विचार किया गया तथा तदनुसार तैयार किया गया विधेयक मध्यप्रदेश विधानसभा में वर्ष 1980 में प्रस्तुत हुआ। अप्रैल 1981 में विधेयक पारित होने तथा उस पर महामहिम राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होने के उपरांत उक्त विधेयक अधिनियम के रूप में लागू हुआ तथा फरवरी 1982 में राज्य शासन की अधिसूचना द्वारा उसे प्रभावशील किया गया। वर्तमान रूप में लोकायुक्त संगठन की विशेष बात यह है कि वैधानिक प्रावधान द्वारा स्थापित होने के कारण यह कार्यपालिका के प्रभाव से पूर्णतया मुक्त है। यही नहीं लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त द्वारा महामहिम राज्यपाल को वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाते हैं जिन पर विधानसभा द्वारा विचार किया जाता है। इस प्रकार संगठन एक तरह से विधायिका के कार्यपालिका पर नियंत्रण का एक माध्यम भी है।

लोकायुक्त संगठन का कार्य निम्नांकित 4 शाखाओं में विभक्त है :––

1. प्रशासकीय शाखा
2. विशेष पुलिस स्थापना
3. तकनीकी शाखा
4. जांच शाखा

प्रशासकीय शाखा

इस शाखा के प्रमुख, सचिव लोकायुक्त हैं जो कि मध्यप्रदेश शासन के सचिव स्तर के अधिकारी हैं। उन्हें लोकायुक्त संगठन के लिये विभाग प्रमुख भी घोषित किया गया है। प्रशासकीय कार्यों में इनकी सहायता के लिये एक उप सचिव तथा एक अवर सचिव का पद निर्मित है। लेखा संबंधी कार्यों के लिये एक लेखा अधिकारी का पद भी स्वीकृत है। अवर सचिव को छोड़कर अन्य सभी अधिकारी शासन के विभिन्न विभागों से लिये जाकर नियुक्त किये गये हैं।

विशेष पुलिस स्थापना :– विशेष पुलिस स्थापना इस संगठन का एक महत्वपूर्ण तथा सबसे कारगर अंग है। विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1947 में प्रभावशील किये जाने के परिणामस्वरूप यह संगठन अस्तित्व में आया था। इसके गठन के पीछे यह उद्देश्य था कि लोक प्रशासन से संबंधित कतिपय अपराधों के अनुसंधान के लिये विशेष पुलिस बल उपलब्ध हो सके।

लोकायुक्त संगठन के अस्तित्व में आने के पूर्व मध्यप्रदेश में राज्य सतर्कता आयोग कार्यरत था तब राज्य शासन के आदेशानुसार विशेष पुलिस स्थापना के नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण का कार्य राज्य सतर्कता आयोग को सौंपा गया था। मध्यप्रदेश लोक आयुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम के दिनांक 14 फरवरी, 1982 से प्रभावशील होने के बाद राज्य सरकार के दिनांक 25 नवंबर,1982 के आदेश द्वारा लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त को यह अधिकार दिया गया कि वे विशेष पुलिस स्थापना की सेवाओं का उपयोग अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत जांच के लिये कर सकते हैं। राज्य शासन के उसी आदेश द्वारा यह भी निर्देश दिये गये कि विशेष पुलिस स्थापना के प्रमुख लोकायुक्त के निर्देश, नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण के अंतर्गत कार्य करेंगे तथा विशेष पुलिस स्थापना का अमला संबंधित अधिकारी के सीधे नियंत्रण में कार्य करेगा एवं लोकायुक्त द्वारा जारी निर्देशों का भी पालन करेगा। बाद में विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम में संशोधन कर विशेष पुलिस स्थापना पर अधीक्षण की शक्तियां लोक आयुक्त में वेष्ठित कर दी गई। अधिनियम द्वारा इस प्रकार के प्रावधान करने का उद्देश्य यह था कि विशेष पुलिस स्थापना एक स्वतंत्र अनुसंधानकर्ता एजेंसी के रूप में कार्यपालिका के हस्तक्षेप के बिना कार्य कर सके। मध्य प्रदेश विशेष पुलिस स्थापना संशोधन अधिनियम 2003 (राजपत्र में दिनांक 20 मई 2003 को प्रकाशित) के अनुसार अब लोकायुक्त को मध्य प्रदेश विशेष पुलिस स्थापना के अधीक्षण के स्थान पर मध्य प्रदेश विशेष पुलिस स्थापना द्वारा अन्वेषण का अधीक्षण स्थापित किया गया है। वर्तमान में विशेष पुलिस स्थापना का अमला महानिदेशक के अधीनस्थ कार्य करता है, जिनकी सहायता के लिये 1 महानिरीक्षक, 2 उप महानिरीक्षक, 8 पुलिस अधीक्षक तथा 26 उप पुलिस अधीक्षक के पद हैं। विशेष पुलिस स्थापना मुख्यालय के 7 संभागीय मुख्यालय भी संभाग स्तर पर (इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, सागर, रीवा एवं भोपाल) स्थापित हैं। विशेष पुलिस स्थापना के संभागीय मुख्यालयों पर पुलिस अधीक्षक पदस्थ हैं।

तकनीकी शाखा

तकनीकी शाखा के प्रमुख, मुख्य अभियंता स्तर के अधिकारी हैं। इनकी सहायता के लिये 3 कार्यपालन यंत्री, 6 सहायक यंत्री तथा 4 तकनीकी सहायक के पद निर्मित हैं। ये सभी अधिकारी शासन के विभिन्न निर्माण विभागों से प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ हैं।

जांच शाखा

लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त को विभिन्न जांचों में सहायता करने के लिये 3 विधि सलाहकार तथा 1 उप विधि सलाहकार का पद निर्मित है। संगठन में प्राप्त शिकायतों की जांच से संबंधित कार्य में सचिव,, विधि सलाहकार, उप विधि सलाहकार एवं उप सचिव द्वारा लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त की सहायता की जाती है। जांच शााखा का कार्य दो अनुभागों में बंटा हुआ है जिसके प्रभारी अनुभाग अधिकारी हैं।

संभागीय सतर्कता समितियाँः–

लोकायुक्त उप लोकायुक्त अधिनियम में संशोधन कर संभागीय सतर्कता समिति के गठन का प्रावधान किया गया है। इन समितियों का गठन विकेन्द्रीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है तथा समितियों की स्थापना से अब कतिपय श्रेणी के लोक सेवकों की जांच का कार्य एक स्वतंत्र एजेंसी से भी कराया जा सकेगा। संभागीय सतर्कता समिति में तीन सदस्य होते हैं। जिनमें से एक सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी होगा जो सिविल न्यायाधीश प्रथम वर्ग से निम्न पद श्रेणी का नहीं होगा या एक ऐसा सेवानिवृत्त कार्यपालिक अधिकारी होगा जो राज्य सरकार के प्रथम वर्ग अधिकारी से निम्न पद श्रेणी का न हो और जिसे न्यायालय के कार्य का अनुभव हो। समिति के अन्य दो सदस्यों के लिये ऐसा कोई बंधन नहीं रखा गया है। इन संभागीय सतर्कता समितियों के समक्ष भी शिकायत संबंधी आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है। संबंधित सतर्कता समिति इन शिकायतों को लोकायुक्त संगठन के मुख्यालय को अग्रेषित करेंगी। माननीय लोकायुक्त अथवा माननीय उप लोकायुक्त द्वारा जैसी भी स्थिति हो इन शिकायती आवेदनों पर जांच संबंधी निर्णय लिया जाता है एवं संभागीय सतर्कता समितियों को जांच हेतु शिकायतें माननीय लोकायुक्त अथवा माननीय उप लोकायुक्त के आदेशानुसार भेजी जाती हैं। संभागीय सतर्कता समिति स्वमेव किसी शिकायत पर जांच हेतु अग्रसर नहीं हो सकती।

लोकायुक्त संगठन के मुख्यालय के पते, कार्यालयीन समय एवं अवकाश की स्थिति निम्नानुसार हैः––

0. लोकायुक्त संगठन का पता :––

लोकायुक्त कार्यालय (लोकायुक्त भवन), एफ ब्लाक, पुराना सचिवालय, भोपाल।

2. कार्यालयीन समय :–

कार्यालय खुलने का समय प्रातः 10.30 बजे एवं बंद होने का समय सायं 5.30 बजे नियत है।

3. अवकाश :–

शासन द्वारा घोषित सार्वजनिक अवकाश ही संगठन हेतु मान्य किये गये हैं।

अध्याय–2

लोकायुक्त संगठन के पदाधिकारी/अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां एवं कर्तव्य

(सूचना के अधिकार की धारा 4 (1) (b) (ii) के अंतर्गत)

लोकायुक्त :– लोकायुक्त संगठन के प्रमुख लोकायुक्त होते हैं। इस पद पर नियुक्ति के पात्र ऐसे व्यक्ति होते हैं जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अथवा किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अथवा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहे हों। अभी तक संगठन में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश तथा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पदस्थ रहे हैं। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मंत्री, राज्यमंत्री, उप मंत्री, संसदीय सचिव, नेता प्रतिपक्ष, मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव, अपर सचिव, विशेष सचिव मध्यप्रदेश शासन के विरूद्ध प्राप्त भ्रष्टाचार की शिकायतों की जांच की अधिकारिता केवल लोकायुक्त को ही है। इसके अलावा अन्य शिकायतें जो किसी भी लोक सेवक से संबंधित है, उनकी जांच भी लोकायुक्त द्वारा की जा सकती है।

उप लोकायुक्त :– उप लोकायुक्त के पद पर ऐसे ही व्यक्ति की नियुक्ति की जा सकती है जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो अथवा रहे हों या भारत सरकार में सचिव के पद पर अथवा राज्य या केन्द्र शासन में ऐसे समकक्ष पद पर रहे हों, तथा जिनका वेतनमान भारत सरकार के अतिरिक्त सचिव के वेतनमान से निम्न न हो। अभी तक संगठन में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश इस पद पर पदस्थ रहे हैं। उप लोकायुक्त ऐसे प्रकरणों को छोड़कर जिनकी जांच के अधिकार केवल लोकायुक्त में ही वेष्ठित हैं, अन्य प्रकरणों की जांच लोकायुक्त द्वारा किये गये कार्य विभाजन आदेश के अनुसार करते हैं।

मध्यप्रदेश लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम 1981 के प्रावधान के अनुसार लोकायुक्त या उप लोकायुक्त की नियुक्ति उनके कार्यभार ग्रहण करने से 6 वर्ष की अवधि के लिये होती है तथा वे पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होते। लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त द्वारा उनके अधिकार क्षेत्र में आने वाली ऐसी सभी शिकायतों की जांच की जा सकती है जिनके विषय शिकायत के दिनांक को 5 वर्ष से अधिक पुराने न हों। उनके द्वारा ऐसे प्रकरणों में जांच नहीं की जा सकती जिनमें कि लोक सेवक जांच अधिनियम 1950 अथवा कमीशन ऑफ इन्क्वायरी एक्ट 1952 के अंतर्गत पूर्व से ही जांच आदेशित की जा चुकी है। लोकायुक्त उप लोकायुक्त को इसकी छूट है कि वे अपने स्वयं के विवेक से उस प्रक्रिया का निर्धारण करें जो जांच के लिये आवश्यक है। साक्षियों की उपस्थिति के लिये साक्ष्य अधिनियम 1872 एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 में निहित प्रावधानों के अनुसार शक्तियाँ लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त में वेष्ठित की गई है। लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त के सम्मुख विचाराधीन सभी कार्यवाही भारतीय दण्ड संहिता की धारा–193 एवं 229 के अंतर्गत न्यायिक कार्यवाही माने जाने का प्रावधान भी अधिनियम में किया गया है। लोकायुक्त अथवा उप लोकायुक्त को न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 के अंतर्गत न्यायालय की मान्यता भी

दी गई है अतएव उनके आदेशों अथवा निर्देशों के उल्लंघन की स्थिति में संबंधित व्यक्तियों के विरूद्ध न्यायालय की अवमानना के विरूद्ध कार्यवाही की जा सकती है।

अधिनियम की धारा 12 (1) में यह प्रावधान है कि यदि किसी भी लोक सेवक के विरूद्ध अभिकथनों के संबंध में जांच करने के पश्चात् लोकायुक्त या उप लोकायुक्त को यह समाधान हो जाये कि ऐसे अभिकथन सिद्ध हो गये हैं, तो सुसंगत दस्तावेजों, सामग्री तथा अन्य साक्ष्य के साथ, अपने निष्कर्ष तथा अपनी सिफारिशें लिखित रिपोर्ट द्वारा सक्षम अधिकारी को संसूचित करेगा। धारा 12–क में इसी संदर्भ में मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष के संबंध में विशेष प्रावधान कर यह व्यवस्था की गई है कि उनसे संबंधित प्रकरणों में प्रतिवेदन तथा अनुशंसा राज्यपाल महोदय को भेजी जायेगी।

अधिनियम में यह भी प्रावधान है कि लोकायुक्त या उप लोकायुक्त की रिपोर्ट की प्राप्ति के तीन माह के अंदर संबंधित सक्षम प्राधिकारी इस बात की जानकारी उन्हें उपलब्ध करायेगा कि उक्त रिपोर्ट पर क्या कार्यवाही की गई अथवा क्या कार्यवाही प्रस्तावित है। किसी प्रकरण में की गई कार्यवाही से तुष्टि न होने की स्थिति में लोकायुक्त या उप लोकायुक्त को यह अधिकार है कि वे तत्संबंध में राज्यपाल को विशेष प्रतिवेदन भेजें।

अधिनियम के अंतर्गत नेक नीयत से की गई किसी भी कार्यवाही के लिये लोकायुक्त अथवा उप लोकायुक्त या संगठन के किसी भी अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध कोई भी वैधानिक कार्यवाही नहीं की जा सकती। ऐसे प्रकरणों में जहां लोकायुक्त यह अनुभव करें कि किसी भी प्रचलित प्रक्रिया के कारण प्रशासन में कदाचार अथवा भ्रष्टाचार का अवसर उत्पन्न होता है तो वे शासन का ध्यान इस ओर आकर्षित कर ऐसे उपाय सुझा सकते हैं जैसा कि वे उपयुक्त समझें।

संगठन के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की शक्तियों एवं कर्तव्यों का विवरण निम्नानुसार हैः——

क्रमांक	नाम एवं पदनाम	कार्य की शक्तियाँ एवं कर्तव्य
1.	श्री एस.के पॉल, भा.प्र.से. सचिव	लोकायुक्त संगठन में सचिव को विभागाध्यक्ष की शक्तियाँ प्राप्त हैं, जिसके तहत वित्तीय संहिता के अंतर्गत विभागाध्यक्ष को दिये गये स्वीकृति के संपूर्ण अधिकार प्रदत्त हैं। सचिव लोकायुक्त संगठन के कार्यपालिक भरती नियम के तहत संगठन के अवर सचिव, अनुभाग अधिकारी, तृतीय श्रेणी एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के नियुक्तिकर्ता अधिकारी हैं। संगठन के अधिकारियों के बीच किये गये कार्य विभाजन अनुसार सचिव द्वारा शिकायतों का परीक्षण एवं अन्य कार्य जो माननीय लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त द्वारा समय–समय पर सौंपे जावे, किया जाता है।
2.	श्रीमती मनीषा सेंतिया उप सचिव	स्थापना, लेखा एवं स्टोर से संबंधित नस्तियों के प्रस्तुतिकरण का कार्य। अधिकारियों के बीच किये गये कार्यविभाजन आदेश के अनुसार शिकायतों एवं पंजीबद्ध जांच प्रकरणों का परीक्षण तथा अन्य कार्य जो माननीय लोकायुक्त, मान. उप लोकायुक्त एवं सचिव द्वारा समय–समय पर सौंपे जावे।
3.	श्री वसंत कुभांरे अवर सचिव	वार्षिक प्रतिवेदन, कम्प्यूटरीकरण संबंधी एवं लोकायुक्त तथा सचिव द्वारा सौंपे गये कार्यों का निर्वहन।
4.	श्री उमेश तिडके लेखाधिकारी	संगठन के मुख्यालय के आहरण वितरण एवं बजट संबंधी कार्य का संपादन।
5.	श्री सोमनाथ शुक्ला अनुभाग अधिकारी	सचिव/उप सचिव द्वारा समय–समय पर सौपे गये कार्यो का संपादन।
6.	श्रीमती कल्पना अग्रवाल अनुभाग अधिकारी	सचिव/उप सचिव द्वारा समय–समय पर सौपे गये कार्यो का संपादन।
7.	श्रीमती एस. खलखो अनुभाग अधिकारी	विशेष पुलिस स्थापना से संबंधित कार्य
8.	श्रीमती सुमन गजभिये अनुभाग अधिकारी	विशेष पुलिस स्थापना से संबंधित कार्य
9.	श्री सैयद वाहिद अली संभागीय लेखापाल	लेखाधिकारी के कार्यों में सहयोग एवं संभागीय मुख्यालयों का आंतरिक लेखा परीक्षण संबंधी कार्य।

विधि सलाहकार

1.	श्रीमति नरिन्दर वीर कौर कान्दरा, विधि सलाहकार–एक	अधिकारियों के बीच किये गये कार्य विभाजन आदेश अनुसार शिकायतों का एवं पंजीबद्ध जांच प्रकरणों का परीक्षण तथा अन्य कार्य जो माननीय लोकायुक्त एवं उपलोकायुक्त द्वारा समय–समय पर सौंपे जावें।
2.	श्री शिशिर कांत चौबे विधि सलाहकार–दो	अधिकारियों के बीच किये गये कार्य विभाजन आदेश अनुसार शिकायतों का एवं पंजीबद्ध जांच प्रकरणों का परीक्षण तथा अन्य कार्य जो माननीय लोकायुक्त एवं उपलोकायुक्त द्वारा समय–समय पर सौंपे जावें।
3.	श्री नवल किशोर गर्ग विधि सलाहकार–तीन	अधिकारियों के बीच किये गये कार्य विभाजन आदेश अनुसार शिकायतों का एवं पंजीबद्ध जांच प्रकरणों का परीक्षण तथा अन्य कार्य जो माननीय लोकायुक्त एवं उपलोकायुक्त द्वारा समय–समय पर सौंपे जावे।
4.	श्री रमेश कुमार सोनी उप विधि सलाहकार	अधिकारियों के बीच किये गये कार्य विभाजन आदेश अनुसार शिकायतों का एवं पंजीबद्ध जांच प्रकरणों का परीक्षण तथा अन्य कार्य जो माननीय लोकायुक्त एवं उपलोकायुक्त द्वारा समय–समय पर सौंपे जावे।

विशेष पुलिस स्थापना

1.	महानिदेशक विशेष पुलिस स्थापना पद रिक्त दिनांक 01.01.2012	महानिदेशक, विशेष पुलिस स्थापना के प्रमुख होते हैं जो पुलिस विभाग के अतिरिक्त महानिदेशक स्तर के अधिकारी हैं। विशेष पुलिस स्थापना से संबंधित कार्य का निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण किया जाता है। महानिदेशक लोकायुक्त के पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण में आपराधिक प्रकरणों संबंधी कार्य का संपादन करते हैं।
2.	श्री अशोक अवस्थी महानिरीक्षक	विशेष पुलिस स्थापना से संबंधित प्राथमिक जांच/आपराधिक प्रकरणों के परीक्षण से संबंधित कार्य। विशेष पुलिस स्थापना के अधिकारियों से संबंधित प्रशासकीय एवं बजट संबंधी कार्य।
3.	श्रीमती सुषमा सिंह महानिरीक्षक	विशेष पुलिस स्थापना से संबंधित प्राथमिक जांच/आपराधिक प्रकरणों के परीक्षण से संबंधित कार्य।

4.	पुलिस उप महानिरीक्षक पद रिक्त दिनांक 05.09.2007,30.03.08 से	विशेष पुलिस स्थापना से संबंधित प्राथमिक जांच/आपराधिक प्रकरणों के परीक्षण से संबंधित कार्य।
5.	श्री सिद्वार्थ चौधरी, पुलिस अधीक्षक, भोपाल	लोकायुक्त संगठन के अंतर्गत विशेष पुलिस स्थापना के संभागीय मुख्यालय भोपाल के कार्यालय प्रमुख का दायित्व निर्वहन एवं विशेष पुलिस स्थापना से संबंधित प्रकरणों में विवेचना एवं प्रस्तुतिकरण
6.	श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह, पुलिस अधीक्षक इंदौर	लोकायुक्त संगठन के अंतर्गत विशेष पुलिस स्थापना के संभागीय मुख्यालय इंदौर के कार्यालय प्रमुख का दायित्व निर्वहन एवं विशेष पुलिस स्थापना से संबंधित प्रकरणों में विवेचना एवं प्रस्तुतिकरण
7.	श्री अरूण मिश्रा, पुलिस अधीक्षक उज्जैन	लोकायुक्त संगठन के अंतर्गत विशेष पुलिस स्थापना के संभागीय मुख्यालय उज्जैन के कार्यालय प्रमुख का दायित्व निर्वहन एवं विशेष पुलिस स्थापना से संबंधित प्रकरणों में विवेचना एवं प्रस्तुतिकरण
8.	श्री एस.एस. गौर पुलिस अधीक्षक ग्वालियर	लोकायुक्त संगठन के अंतर्गत विशेष पुलिस स्थापना के संभागीय मुख्यालय ग्वालियर के कार्यालय प्रमुख का दायित्व निर्वहन एवं विशेष पुलिस स्थापना से संबंधित प्रकरणों में विवेचना एवं प्रस्तुतिकरण
9.	श्री धमेन्द्र सिंह भदौरिया पुलिस अधीक्षक सागर	लोकायुक्त संगठन के अंतर्गत विशेष पुलिस स्थापना के संभागीय मुख्यालय सागर के कार्यालय प्रमुख का दायित्व निर्वहन एवं विशेष पुलिस स्थापना से संबंधित प्रकरणों में विवेचना एवं प्रस्तुतिकरण
10.	श्री मनीष कपूरिया, पुलिस अधीक्षक जबलपुर	लोकायुक्त संगठन के अंतर्गत विशेष पुलिस स्थापना के संभागीय मुख्यालय जबलपुर के कार्यालय प्रमुख का दायित्व निर्वहन एवं विशेष पुलिस स्थापना से संबंधित प्रकरणों में विवेचना एवं प्रस्तुतिकरण
11.	श्री मिथिलेश कुमार शुक्ला, पुलिस अधीक्षक रीवा	लोकायुक्त संगठन के अंतर्गत विशेष पुलिस स्थापना के संभागीय मुख्यालय रीवा के कार्यालय प्रमुख का दायित्व निर्वहन एवं विशेष पुलिस स्थापना से संबंधित प्रकरणों में विवेचना एवं प्रस्तुतिकरण
12.	श्री आर.एस. रघुवंशी, उप सचांलक, अभियोजन	विशेष पुलिस स्थापना के प्रकरणों की न्यायालय में प्रस्तुति पूर्व समीक्षा एवं अपील संबंधी प्रकरणों में अभिमत देना।

13.	पुलिस उप अधीक्षक	विशेष पुलिस स्थापना के पुलिस अधीक्षक एवं वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा सौंपे गये कार्यों का निर्वहन
14.	जिला लोक अभियोजन अधिकारी	विशेष पुलिस स्थापना के अंतर्गत न्यायालयों में विचाराधीन प्रकरणों में संगठन की ओर से प्रस्तुतिकरण।
15.	पुलिस निरीक्षक	विशेष पुलिस स्थापना के अंतर्गत वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा सौंपे गये कार्यों का निर्वहन एवं आपराधिक प्रकरणों में विवेचना का कार्य।
16.	उप निरीक्षक	मुख्यालय में वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा सौंपे गये कार्यों का निर्वहन।
17.	प्रधान आरक्षक	वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा सौंपे गये कार्यों का निर्वहन।
18.	आरक्षक	वरिष्ठ अधिकारियों को कार्य में सहयोग प्रदान करना।
19.	कोर्ट मोहर्रिर	संगठन के प्रकरणों का न्यायालय में समय–समय पर प्रस्तुतिकरण एवं न्यायालयीन प्रकरणों में सहयोग।
20.	आरक्षक चालक	संगठन के वाहनों का चालन करना।

तकनीकी शाखा

1.	श्री बी. के. नायक मुख्य अभियंता	संगठन को प्राप्त तकनीकी विषय से संबंधित शिकायतों एवं प्रकरणों की जांच का कार्य माननीय लोकायुक्त अथवा माननीय उप लोकायुक्त के निर्देशानुसार किया जाता है। मुख्य अभियंता द्वारा तकनीकी स्वरूप के जांच प्रकरणों में लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त को तकनीकी सलाह उपलब्ध कराई जाती है।
2.	श्री एन.एस. जौहरी अधीक्षण यंत्री	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग से संबंधित शिकायत एवं जांच प्रकरणों के परीक्षण एवं प्रस्तुति का कार्य।
3.	श्री अविनाश नेमा कार्यपालन यंत्री	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग से संबंधित शिकायत एवं जांच प्रकरणों के परीक्षण एवं प्रस्तुति का कार्य।
4.	श्री हेमन्त कुमार जैन, कार्यपालन यंत्री	जल संसाधन विभाग से संबंधित एवं अन्य प्रकरणों के परीक्षण का कार्य मुख्य अभियंता के आदेशानुसार किया जाता है।
5.	श्री सुनील श्रीवास्तव कार्यपालन यंत्री	शिकायत एवं जांच प्रकरणों के परीक्षण एवं प्रस्तुति का कार्य। मुख्य अभियंता के

		आदेशानुसार किया जाता है।
5.	श्री दिलीप नाथ गांधी सहायक यंत्री	जल संसाधन विभाग से संबंधित एवं अन्य प्रकरणों के परीक्षण का कार्य मुख्य अभियंता के आदेशानुसार किया जाता है।
6.	सहायक यंत्री पद रिक्त 31.01.2011	
7.	श्री ओ.पी झोड़े, सहायक यंत्री	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग से संबंधित शिकायत एवं जांच प्रकरणों के परीक्षण एवं प्रस्तुति का कार्य।
8.	श्री ओ.पी. रावत, सहायक यंत्री	लोक निर्माण विभाग से संबंधित एवं अन्य प्रकरणों के परीक्षण का कार्य मुख्य अभियंता के आदेशानुसार किया जाता है।
9.	सहायक यंत्री पद रिक्त 05.03.2009	
10.	श्री नीतीन कुहीकर सहायक यंत्री	जल संसाधन विभाग से संबंधित एवं अन्य प्रकरणों के परीक्षण का कार्य मुख्य अभियंता के आदेशानुसार किया जाता है।
11.	श्री सुनील कोचकर तकनीकी सहायक	लोक निर्माण विभाग से संबंधित एवं अन्य प्रकरणों के परीक्षण का कार्य मुख्य अभियंता के आदेशानुसार किया जाता है।
12.	पद रिक्त दि. 13.01.2011 तकनीकी सहायक	

लोकायुक्त संगठन का अनुसचिवीय तथा अन्य अमला

क्रमांक	पदनाम/पदों की स्वीकृत संख्या	कार्य की ाक्तियाँ एवं कर्तव्य
1.	विशेष सहायक लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त (1 पद)	माननीय लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त द्वारा सौंपे गये कार्यों का निर्वहन (डिक्टेशन, डाक प्रस्तुति, नस्तियों की प्रस्तुति, दूरभाष संबंधी कार्य,)
2.	निज सचिव लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त (1 पद)	माननीय लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त द्वारा सौंपे गये कार्यों का निर्वहन (डिक्टेशन, डाक प्रस्तुति, नस्तियों की प्रस्तुति, दूरभाष संबंधी कार्य,)
3.	सहायक–1 (22)	नियंत्रण अधिकारी द्वारा सौंपे गये कार्य एवं नस्तियों का रख–रखाव तथा प्रस्तुतिकरण
4.	ऑडीटर (2 पद)	लेखा अधिकारी एवं संभागीय लेखापाल को आडिट एवं बजट संबंधी कार्यों में सहयोग
5.	सहायक–2 (31 पद)	नियंत्रण अधिकारी द्वारा सौंपे गये कार्य एवं नस्तियों का रख–रखाव तथा प्रस्तुतिकरण
6.	सहायक–3 (55 पद)	नियंत्रण अधिकारी द्वारा सौंपे गये कार्य, शाखा का टाईपिंग कार्य, आवक–जावक संबंधी कार्य।
7.	लायब्रेरियन (1 पद)	मुख्यालय स्थित लायब्रेरी में पुस्तकों एवं समाचार पत्रों का रख–रखाव।
8.	शीघ्रलेखक श्रेणी–1 (1 पद)	पदस्थ अधिकारियों के पास डिक्टेशन संबंधी

		कार्य, डाक प्राप्ति, नस्तियों का प्रस्तुतिकरण, डिक्टेशन एवं दूरभाष संबंधी कार्य।
9.	शीघ्रलेखक श्रेणी–2 (5 पद)	पदस्थ अधिकारियों के पास डिक्टेशन संबंधी कार्य, डाक प्राप्ति, नस्तियों का प्रस्तुतिकरण, डिक्टेशन एवं दूरभाष संबंधी कार्य।
10.	शीघ्रलेखक श्रेणी–3 (13 पद)	पदस्थ अधिकारियों के पास डिक्टेशन संबंधी कार्य, डाक प्राप्ति, नस्तियों का प्रस्तुतिकरण, डिक्टेशन एवं दूरभाष संबंधी कार्य।
11.	स्टेनो टायपिस्ट (12 पद)	पदस्थ अधिकारियों के पास डिक्टेशन संबंधी कार्य, डाक प्राप्ति, नस्तियों का प्रस्तुतिकरण, डिक्टेशन एवं दूरभाष संबंधी कार्य।
13.	दफ्तरी (3 पद)	अभिलेखों/फाईलों का रख–रखाव एवं रिकार्डिंग संबंधी कार्य
14.	जमादार (2 पद)	भृत्यों के कार्यों का पर्यवेक्षण
15.	भृत्य (59 पद)	कार्यालयीन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में सहयोग जिनमें नस्तियों के आवागमन, डाक/नस्तियाँ वितरण संबंधी कार्य प्रमुख है।
16.	फर्राश/चौकीदार (14 पद)	कार्यालय की साफ–सफाई एवं सुरक्षा करना।
17.	वाहन चालक (3 पद नियमित एवं 11 पद नैमित्तिक व्यय एवं 1 पद मोटरसाईकिल चालक)	कार्यालयीन वाहनों का चालन, रख–रखाव एवं वाहनों की स्वच्छता करना।

नैमित्तिक व्यय से वेतन पाने वाले कर्मचारियों का विवरण

क्रमांक	पदनाम/पदों की संख्या	कार्य की शक्तियाँ एवं कर्तव्य
1.	चौकीदार (1 पद)	कार्यालय की सुरक्षा
2.	वाटरमेन (1 पद)	कार्यालय में पेयजल व्यवस्था
3.	स्वीपर (2 पद)	कार्यालय में स्वच्छता करना
4	माली (2 पद)	कार्यालय परिसर में बगीचे का रखरखाव

दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों का विवरण

क्रमांक	पदनाम/पदों की संख्या	कार्य की शक्तियाँ एवं कर्तव्य
1.	चौकीदार (3 पद)	कार्यालय की सुरक्षा
2.	वाटरमेन (3 पद)	कार्यालय में पेयजल व्यवस्था
3.	स्वीपर (4 पद)	कार्यालयीन भवन की स्वच्छता
4.	दफतरी (1 पद)	अभिलेखों/फाईलों का रख–रखाव एवं रिकार्डिंग संबंधी कार्य।
5.	माली (2 पद)	कार्यालय परिसर में बगीचे का रखरखाव
6.	वाहन चालक (1 पद)	कार्यालयीन वाहनों का चालन, रख–रखाव एवं वाहनों की स्वच्छता करना।

अध्याय–3

लोकायुक्त संगठन में कार्य नि पादन हेतु निर्धारित प्रक्रिया/प्रतिमान

(सूचना के अधिकार की धारा 4 (1) (b) (iii) (iv) के अंतर्गत)

प्रत्येक शिकायत जिसमें कोई अभिकथन अन्तर्वलित हो, ऐसे प्रारूप में, जो कि विहित किया जाये, की जायेगी तथा उसके साथ पच्चीस रूप्ये का निक्षेप होगाद्व परिवादीद्व लोकायुक्त या लोकायुक्त द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत किये गये किसी अन्य अधिकारी के समक्ष ऐसे प्रारूप में जो कि विहित किया जाये एक शपथ पत्र भी भरेगा परन्तु यदि शिकायत किसी ऐसे लोक सेवक के विरूद्व हो जिसके कि संबंध में मुख्यमंत्री सक्षम प्राधिकारी न हों तो न तो निक्षेप आवश्यक होगा और न ही शपथपत्र परन्तु यह और भी कि यदि लोकायुक्त या उप लोकायुक्त की राय में निक्षेप कराना तथा शपथपत्र का लिया जाना आवश्यक हो तो वे यह निर्देश दे सकेंगे कि परिवादी पच्चीस रूप्ये का निक्षेप भी करे और उनके समक्ष या उनके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी के समक्ष ापथ पत्र भी ऐसे प्रारूप में भी प्रस्तुत करे जो कि विहित किया जाये।

लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम 1981 के तहत अभिकथन (A llegation) निम्नानुसार परिभाषित हैः––

1. ऐसे लोक सेवक ने अपने स्वयं के लिये या किसी अन्य व्यक्ति के लिये कोई अभिलाभ या अनुग्रह अभिप्राप्त करने के लिये या किसी व्यक्ति को असम्यक अपहानि पहुँचाने के लिये अपने पद का उस पर की हैसियत में दुरूपयोग किया है।
2. ऐसा लोक सेवक ऐसे लोक सेवक के रूप में अपने कृत्यों का निर्वहन करने में अनुचित या भ्रष्ट हेतु से प्रेरित हुआ था।
3. ऐसा लोक सेवक, भ्रष्टाचार का दोषी है या
4. ऐसे लोक सेवक के कब्जे में धन संबंधी ऐसे संसाधन हैं या ऐसी संपत्ति है जो कि आय के उसके ज्ञात स्त्रोत के अनुपात में नहीं है और धन संबंधी ऐसा संसाधन या ऐसी संपत्ति लोक सेवक द्वारा वैयक्तिक रूप से या उसके कुटुम्ब के किसी सदस्य द्वारा या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा धारित है।

   लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम 1981 के अंतर्गत शिकायत प्राप्त होने पर जांच हेतु निम्नानुसार उपबन्ध हैं :––
5. लोक आयुक्त किसी ऐसे लोक सेवक के, जिसके संबंध में मुख्यमंत्री सक्षम प्राधिकारी हों के विरूद्व किये गये किसी अभिकथन के संबंध में जांच करने के लिये अग्रसर हो सकेगा।
6. उप लोकायुक्त खण्ड (एक) में निर्दिष्ट लोक सेवक से भिन्न किसी लोक सेवक के विरू, किये गये किसी अभिकथन के संबंध में जांच करने के लिये अग्रसर हो सकेगा।

संगठन में शिकायत संबंधित व्यक्ति द्वारा या डाक के माध्यम से प्रस्तुत की जा सकती है। शासकीय कर्मचारी द्वारा शिकायत प्रस्तुत करने पर किसी प्रकार की रोक नहीं है। संगठन में प्राप्त शिकायतें पंजीबद्ध की जाकर संबंधित प्रभारी अधिकारी को प्रेषित की जाती हैं। संबंधित अधिकारी द्वारा स्वयं शिकायतों का परीक्षण कर माननीय लोकायुक्त अथवा माननीय उप लोकायुक्त को परीक्षण टीप प्रस्तुत करते हैं। माननीय लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त के द्वारा शिकायत पर जांच संबंधी आदेश होने अथवा अन्य आदेश होने के उपरांत शिकायत पर अग्रिम कार्यवाही की जाती है। संगठन में प्राप्त शिकायतों व पंजीबद्ध प्रकरण 1 अप्रैल से 31 मार्च की (वित्तीय वर्ष) अनुसार संधारित किये जाते हैं।

ऐसी शिकायतें जिनमें घटना दिनांक 5 वर्ष से अधिक होने, शिकायत गुमनाम होने, शिकायत में आरोपों के संबंध में विशिष्ठ अभिकथन न होने पर सामान्यतः ऐसी शिकायतें माननीय लोकायुक्त अथवा माननीय उप लोकायुक्त द्वारा नस्तिबद्ध की जाती हैं। जिन शिकायतों में लोक सेवक के विरूद्व अभिकथनों के संबंध में जांच करने के पश्चात लोकायुक्त या उप लोकायुक्त को यह समाधान हो जाये कि ऐसे अभिकथन सिद्ध हो गये हैं, तो सुसंगत दस्तावेजों, सामग्री तथा अन्य साक्ष्य के साथ अपने निष्कर्ष तथा अपनी सिफारिशें लिखित रिपोर्ट द्वारा सक्षम अधिकारी को संसूचित की जाती है।

विशेष पुलिस स्थापना :–

वर्तमान में विशेष पुलिस स्थापना का अमला महानिदेशक के अधीन कार्य करता है, जिनकी सहायता के लिये 1 महानिरीक्षकद्व 2 उप महानिरीक्षकद्व 8 पुलिस अधीक्षकद्व 26 उप पुलिस अधीक्षक तथा 41 पुलिस निरीक्षक के पद हैं। इस संगठन के अंतर्गत विशेष पुलिस स्थापना के सात संभागीय कार्यालय कार्यरत हैं। विशेष पुलिस स्थापना के (भोपाल उज्जैन इंदौर ग्वालियर जबलपुर सागर रीवा) संभागीय कार्यालयों में पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी तैनात हैं। विशेष पुलिस स्थापना थाना में अपराध पंजीयन होता है तथा विवेचना संभाग के विवेचकों के द्वारा की जाती है। विवेचक निरीक्षक तथा उप पुलिस अधीक्षक स्तर के होते हैं। विवेचना पूरी करने के उपरांत विवेचक की रिपोर्ट संबंधित पुलिस अधीक्षक विशेष पुलिस स्थापना मुख्यालय को भेजते हैं। विशेष पुलिस स्थापना, मुख्यालय में प्राप्त रिपोर्टों को परीक्षण (खात्मा/चालान/विभागीय जांच/अन्य कोई निर्णय हेतु) उप पुलिस महानिरीक्षक महानिरीक्षक द्वारा किया जाकर महानिदेशक को प्रस्तुत किया जाता है। प्रथम श्रेणी एवं द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों के संबंध में अंतिम निर्णय माननीय लोकायुक्त महोदय द्वारा लिया जाता है। तृतीय श्रेणी व चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के संबंध में निर्णय महानिदेशक द्वारा लिया जाता है। विशे ा पुलिस स्थापना के कार्यों पर माननीय लोकायुक्त महोदय का विवेचना पर अधीक्षण रहता है। विशेष पुलिस स्थापना के प्रकरणों में निर्णय के संबंध में माननीय लोकायुक्त महोदय के निर्देश प्रभावी रहते हैं।

लोकायुक्त संगठन मध्यप्रदेश

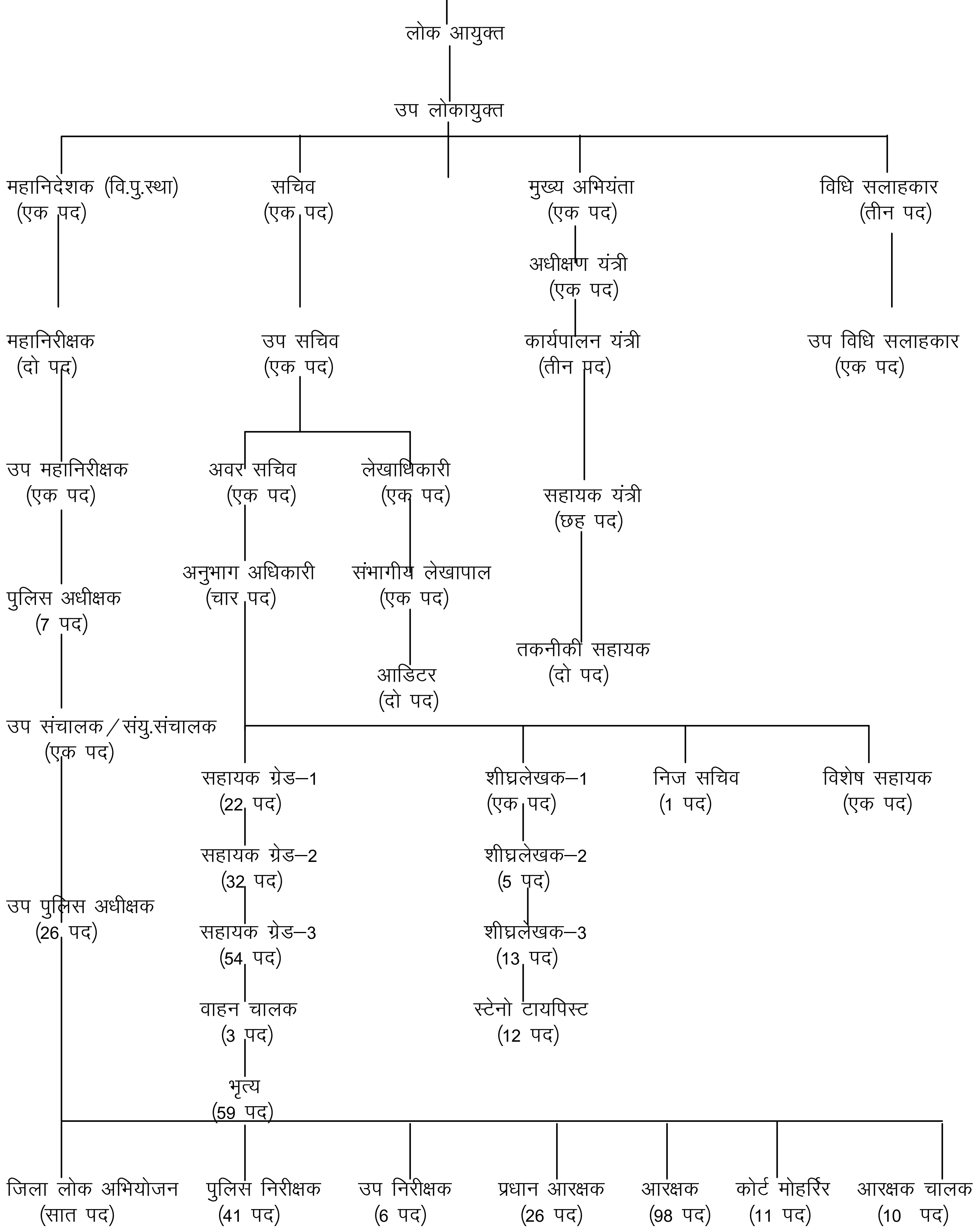

अध्याय–4

लोकायुक्त संगठन के अंतर्गत संधारित नियम, विनियम, अनुदेशों का विवरण (सूचना के अधिकार की धारा 4 (1) (b) (v) के अंतर्गत

लोकायुक्त संगठन तथा विशेष पुलिस स्थापना से संबंधित नियम, विनियम, निर्देश, अनुदेशों का विवरण निम्नानुसार है :––

1. मध्यप्रदेश लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम 1981
2. मध्यप्रदेश लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त (अन्वेषण) नियम 1982
3. मध्यप्रदेश लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त (संभागीय सतर्कता समिति) नियम 1995 मध्यप्रदेश लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त (सेवा शर्तें)
4. मध्यप्रदेश विशेष पुलिस स्थापना एक्ट 1947
5. मध्यप्रदेश लोकायुक्त कार्यालय सेवा (भरती तथा सेवा शर्तें) नियम 1984
6. सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी किये गये निर्देश जिसके अंतर्गत संगठन में विभागों द्वारा लोकायुक्त संगठन को जांच हेतु प्रकरण सौंपने की प्रक्रिया, संगठन द्वारा भेजे गये जांच प्रतिवेदनों पर कार्यवाही करने संबंधी निर्देश, शासकीय कर्मचारी/अधिकारी की पदस्थापना संबंधी निर्देश एवं विभागीय जांच संबंधी निर्देश प्रमुख हैं।

   उपरोक्त सभी अधिनियम/नियम/निर्देश लोकायुक्त संगठन द्वारा प्रकाशित किये गये हैं।

अध्याय–5

लोकायुक्त संगठन में संधारित पंजियों व दस्तावेजों का विवरण

(सूचना के अधिकार की धारा–4 (1) (b) (vi) के अंतर्गत)

लोकायुक्त संगठन के अंतर्गत जांच एवं शिकायत शाखा में निम्नांकित पंजियां संधारित हैं :––

1. संगठन को प्राप्त शिकायतों की पंजी
2. जांच हेतु पंजीबद्ध शिकायतों की पंजी
3. उचित कार्यवाही हेतु भेजी गई शिकायतों की पंजी
4. नस्तिबद्ध की गई शिकायतों की पंजी
5. विभागवार एवं जिलेवार शिकायतों की पंजी
6. पंजीबद्ध जांच प्रकरणों की पंजी
7. विभागीय कार्यवाही/विभागीय जांच हेतु अनुशंसित प्रकरणों की पंजी
8. अनावेदक को दिये गये दण्ड की पंजी
9. जांच उपरांत समाप्त किये गये प्रकरणों की पंजी
10. संभागीय सतर्कता समितियों को सौंपे गये प्रकरणों की पंजी

विशेष पुलिस स्थापना में संधारित पंजियाँ

1. अपराध पंजी
2. प्राथमिक जांच पंजी
3. विभागीय जांच पंजी

तकनीकी शाखा में संधारित पंजी

1. शिकायत पंजी
2. जांच में लंबित प्रकरणों की पंजी
3. शिकायत/जांच के निराकृत प्रकरणों की पंजी
4. विभागीय जांच/विभागीय कार्यवाही पंजी विभागवार
5. दोषमुक्त/दण्ड पंजी

अध्याय–6

नीति निर्धारण व कार्यान्वयन के संबंध में जनता या जन–प्रतिनिधि से परामर्श के लिये बनाई गई व्यवस्था का विवरण

(सूचना के अधिकार की धारा 4 (1) (b) (vii) के अंतर्गत)

लोकायुक्त संगठन की स्थापना 1982 में की गई। लोकायुक्त संगठन का गठन वैधानिक प्रावधान के तहत होने के कारण यह कार्यपालिका के प्रभाव से पूर्णतया मुक्त है लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त द्वारा महामहिम राज्यपाल को वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाते हैं जिस पर विधानसभा द्वारा विचार किया जाता है। अधिनियम तथा इसके अंतर्गत बनाये गये नियमों में जन सामान्य से विचार विमर्श करने का प्रावधान नहीं है।

अध्याय–7

लोकायुक्त संगठन के अंतर्गत गठित संभागीय सतर्कता समितियां

(सूचना के अधिकार की धारा 4 (1) (b) (viii) के अंतर्गत)

संगठन में लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम 1981 की धारा–13–ए के अंतर्गत संभागीय सतर्कता समिति के गठन का प्रावधान है। संगठन में वर्तमान में कुल 6 संभागीय सतर्कता समितियाँ गठित हैं, जिनके संभागीय मुख्यालय इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, सागर, रीवा एवं उज्जैन में स्थित हैं। वर्तमान में भोपाल संभाग की सतर्कता समिति कार्यरत नहीं है।

इन समितियों का गठन विकेन्द्रीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है तथा समितियों की स्थापना से अब लोक सेवकों की जांच का कार्य इन सर्तकता समितियों के माध्यम से कराया जाता है। अधिनियम के अनुसार प्रत्येक संभागीय सतर्कता समिति में तीन सदस्य होंगे, जिनमें से एक सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी होगा जो सिविल न्यायाधीश प्रथम वर्ग से निम्न पद श्रेणी का नहीं होगा या एक ऐसा सेवानिवृत्त कार्यपालिक अधिकारी होगा जो राज्य सरकार के प्रथम वर्ग अधिकारी से निम्न पद श्रेणी का न हो और जिसे न्यायालय के कार्य का अनुभव हो। समिति के अन्य दो सदस्यों के लिये ऐसा कोई बंधन नहीं रखा गया है। समिति के सदस्यों की नियुक्ति राज्य शासन द्वारा लोकायुक्त की सिफारिश पर की जाती है। सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिये न्यूनतम आयु सीमा 35 वर्ष है तथा यह प्रावधान किया गया है कि कोई भी व्यक्ति 70 वर्ष के आयु के बाद समिति का सदस्य नहीं रह सकेगा । समिति को केवल ऐसी शिकायतों की जांच करने का अधिकार होगा जो उन्हें इस प्रयोजन से लोकायुक्त अथवा उप लोकायुक्त द्वारा भेजी जायें। समिति अपनी ओर से किसी भी शिकायत पर जांच प्रारंभ नहीं कर सकेगी। यदि समिति को कोई शिकायत सीधे या व्यक्तिशः प्रस्तुत की जाती है तो समिति उस पर कोई कार्यवाही किये बिना उसे आगे की आवश्यक कार्यवाही के लिये लोकायुक्त को अग्रेषित करेगी। लोकायुक्त या उपलोकायुक्त द्वारा उसे विनिर्दिष्ट की गई शिकायत की जांच समिति द्वारा की जायेगी और यथास्थिति लोकायुक्त या उपलोकायुक्त को रिपोर्ट भेजी जायेगी जो उस पर समुचित निर्णय लेगें।

लोकायुक्त संगठन के अंतर्गत वर्तमान में 6 संभागीय सतर्कता समिति कार्यरत हैं जिनके नाम एवं कार्यालय का पता निम्नानुसार है :——

स.क्रं.	समिति का नाम	समिति के कार्यालय का पता
1.	संभागीय सतर्कता समिति इंदौर ब्लाक–अ–7, नवलखा कॉम्पलेक्स, इंदौर	अध्यक्ष संभागीय सतर्कता समिति (लोकायुक्त कार्यालय) इंदौर ब्लाक–अ–7, नवलखा कॉम्पलेक्स, इंदौर
2.	संभागीय सतर्कता समिति ग्वालियर	अध्यक्ष संभागीय सतर्कता समिति (लोकायुक्त कार्यालय) ग्वालियर रामकृष्ण आश्रम, रामकृष्णपुरी, थाटीपुर, ग्वालियर
3.	संभागीय सतर्कता समिति भोपाल	अध्यक्ष संभागीय सतर्कता समिति (लोकायुक्त कार्यालय) भोपाल कमिश्नर कार्यालय के पीछे, भोपाल
4.	संभागीय सतर्कता समिति सागर	अध्यक्ष संभागीय सतर्कता समिति (लोकायुक्त कार्यालय) सागर डॉ. गीता मुकर्जी कंपाऊंड के पीछे बंगला नम्बर–40, कैंट एरिया, सागर
5.	संभागीय सतर्कता समिति जबलपुर	अध्यक्ष जिला सतर्कता समिति (लोकायुक्त कार्यालय) जबलपुर, विकास प्राधिकरण, सिविक सेन्टर मढ़ाताल, ब्लाक नंबर 8, तृतीय तल, जबलपुर
6.	संभागीय सतर्कता समिति रीवा	अध्यक्ष जिला सतर्कता समिति (लोकायुक्त कार्यालय) रीवा कमिश्नर कार्यालय परिसर, रीवा

नोटः– संभागीय सतर्कता समितियों द्वारा संपादित जांच का ब्यौरा गोपनीय होने के कारण जन–साधारण के लिये उपलब्ध नहीं है।

अध्याय–8

लोकायुक्त संगठन के पदाधिकारी, अधिकारियों की निदेशिका

(सूचना के अधिकार की धारा 4 (1) (b) (ix) के अंतर्गत

लोकायुक्त संगठन के पदाधिकारी एवं अधिकारियों के कार्यालय एवं निवास के दूरभाष एवं पते की जानकारी निम्नानुसार है :——

पदाधिकारी/अधिकारी के नाम एवं पदनाम	दूरभाष क्रमांक (कार्यालय)	दूरभाष (निवास)	निवास का पता
जस्टिस श्री प्रकाश प्रभाकर नावलेकर लोकायुक्त	2540935 **फैक्स–** 2736026 **ई.मेल** mplokayukt@yahoo.co.in	2661474	**8, श्यामला हिल्स, भोपाल**
जस्टिस श्री चन्द्रेश भूषण उप लोकायुक्त	2540957	2661218	**7, श्यामला हिल्स, भोपाल**

श्री एस.के पॉल, सचिव	2540939 **फैक्स–** 2538809	**2480021**	**एच.आय.जी. 623, अरविंद विहार, बाग मुंगालिया, भोपाल**
श्रीमती नरिन्दर वीर कौर कान्दरा विधि सलाहकार–एक	2540945	2430709	**डी–4/10,चार इमली,भोपाल**
श्री शिशिर कांत चौबे विधि सलाहकार–दो	2736164	2430498	**डी–22, चार इमली,भोपाल**
श्री नवल किशोर गर्ग विधि सलाहकार–तीन	2737000		**34–श्रीराम शरणम कालोनी, शाहपुरा, भोपाल**
श्री रमेश कुमार सोनी उप विधि सलाहकार	2539097	2430120	**डी–6, उपांत कालोनी, चार इमली,भोपाल**
श्रीमती मनीषा सेंतिया उप सचिव	2540948	2488867	**बी–134, आकृति गार्डन्स, नेहरू नगर, भोपाल**
श्री वसंत कुभारे अवर सचिव	2739257	2771188	**जी–7/74, 228 क्वार्टर्स, भोपाल**
श्री उमेश तिडके लेखाधिकारी	2545572	2764630	**जे–90,हर्षवर्धन नगर,भोपाल**

विशेष पुलिस स्थापना

महानिदेशक पद रिक्त दिनांक 01.01.2012	2540940 दूरभाष/फैक्स	2465576	
श्री अशोक अवस्थी महानिरीक्षक	2540936	2430528	डी.–4/5, चार इमली, भोपाल
श्रीमती सुषमा सिंह महानिरीक्षक	2540941	2443314	ई–112/5, शिवाजी नगर, भोपाल
श्री आर.एस. रघुवंशी, उप संचालक अभियोजन	2540979		
श्री सतीश वर्मा, निरीक्षक (थाना प्रभारी)	2542031	2534235	ब्लाक–2,क्वार्टर नंबर–23,शाहजहानाबाद,पुलिस लाईन कोर्ट के पास भोपाल

तकनीकी शाखा

श्री बी.के. नायक मुख्य अभियंता	2540956	2560830	ई–6,एलआयजी–बी–77, 11 नंबर बस स्टॉप, अरेरा कालोनी, भोपाल
श्री एन.एस. जौहरी अधीक्षण यंत्री	2541141	2430588	ई.एन.–2/2, चार इमली, भोपाल
श्री हेमन्त कुमार जैन कार्यपालन यंत्री	2540070	2480266	एम.387, अरविन्द विहार, बागमुंगालिया, भोपाल
श्री अविनाश नेमा, कार्यपालन यंत्री	2730150	2411880	एम.आय.जी. 76, विद्या नगर, भोपाल
श्री सुनील श्रीवास्तव कार्यपालन यंत्री	2540528	2559323	एफ 108/31, शिवाजी नगर, भोपाल

भोपाल का एस.टी.डी. कोड– 0755

विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त कार्यालय (संभागीय मुख्यालय)

भोपाल	श्री सिद्वार्थ चौधरी पुलिस अधीक्षक	0755	2540889	2430531
	श्री उप पुलिस अधीक्षक	0755	2540946	
इंदौर	श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह पुलिस अधीक्षक श्री एम.सी. शर्मा उप पुलिस अधीक्षक	0731 0731	2533160 2430100	2710088 2552934
उज्जैन	श्री अरूण कुमार मिश्रा पुलिस अधीक्षक	0734	2512756	2511987
ग्वालियर	श्री एस.एस. गौर पुलिस अधीक्षक उप पुलिस अधीक्षक	0751	2457121 2320756	2461331 5030143
सागर	श्री धमेन्द्र भदौरिया पुलिस अधीक्षक	07582	267765	267767
जबलपुर	श्री मनीष कपूरिया पुलिस अधीक्षक श्री एन.एस. राजपूत उप पुलिस अधीक्षक श्री आर.एन. पटेरिया उप पुलिस अधीक्षक	0761 0761 0761	2428599 2428588,	2327601
रीवा	श्री मिथिलेश कुमार शुक्ला पुलिस अधीक्षक	07662	256569	

संभागीय सतर्कता समितियाँ

जिला	नाम एवं पदनाम	एस.टी.डी. कोड	दूरभाष (कार्यालय)	दूरभाष (निवास)
भोपाल	श्री ओ.पी. दुबे	**0755**	**2739140**	
इंदौर	श्रीमती शर्मिष्ठा दवे, अध्यक्ष	0731	2762370	
उज्जैन	रिक्त	0734		
ग्वालियर	डॉ. ओ.पी. शर्मा अध्यक्ष	0751	2230200	
सागर	डॉ. रामानंद शुक्ल अध्यक्ष	07582	220223	
जबलपुर	श्री अजीत कुमार तिवारी अध्यक्ष	0761	2412579	
रीवा	श्री कमलेश्वर प्रसार तिवारी अध्यक्ष	07662	253190	

अध्याय–9

संगठन के पदाधिकारी, अधिकारी एवं कर्मचारियों को प्राप्त मासिक वेतन का विवरण

(सूचना के अधिकार की धारा 4 (1) (b) (x) के अंतर्गत)

क्रमांक	पदनाम	वेतनमान
1.	लोक आयुक्त	रूपये 90000/– इसमें देय पेंशन रूपये 45,000/– का कटौत्रा उपरांत वेतन तथा भत्ते देय है
2.	उप लोकायुक्त	रूपये 80000/– इसमें देय पेंशन रूपयें 40,000/– का कटौत्रा उपरांत वेतन तथा भत्ते देय हैं।
3.	महानिदेशक वि.पु.स्था.	80000/–
4.	महानिरीक्षक	18400–22400
5.	पुलिस उप महानिरीक्षक	16400–450–20000+800 स्पेशल पे
6.	विधि सलाहकार	18400–500–22400+250 स्पेशल पे
7.	सचिव	18400–500–22400
8.	मुख्य अभियंता	16400–450–20000
9.	उप विधि सलाहकार	10000–15200
10	अधीक्षण यंत्री	12000–375–16500
11.	कार्यपालन यंत्री	10000–15200+200 स्पेशल पे
12.	पुलिस अधीक्षक	14300–400–18300+800 स्पेशल पे
13.	उप सचिव	12000–375–16500+600 स्पेशल पे
14.	उप संचालक/संयुक्त संचालक अभियोजन	10000–15200
15.	पुलिस उप अधीक्षक	8000–275–13500+600 स्पेशल पे
16.	अवर सचिव	10000–325–15200
17.	लेखा अधिकारी	8000–275–13500+150 स्पेशल पे
18.	अनुभाग अधिकारी	6500–200–10500
19.	संभागीय लेखापाल	5000–150–8000
20.	सहायक यंत्री	8000–275–13500+150 स्पेशल पे
21.	तकनीकी सहायक	5500–175–9000+70स्पेशल पे
22.	जिला लोक अभियोजन अधिकारी	6500–200–10500+75 स्पेशल पे
23.	पुलिस निरीक्षक	5500–175–9000+400 स्पेशल पे
24.	उप निरीक्षक	4500–125–7000+400 स्पेशल पे
25.	प्रधान आरक्षक	3500–80–4700+300 स्पेशल पे
26.	आरक्षक	3050–75–3950–80–4590+ 300 स्पेशल पे
27.	कोर्ट मोहर्रिर	3050–75–3950–80–4590+ 300 स्पेशल पे

28.	आरक्षक चालक	3050—75—3950—80—4590+ 300 स्पेशल पे
29.	लोकायुक्त के विशेष सहायक	10000—325—15200+150 स्पेशल पे
30.	शीघ्रलेखक श्रेणी—एक	6500—200—10500
31.	लोकायुक्त के निज सचिव	सेवा संवर्ग वेतनमान+रूपये 100 स्पेशल पे
32.	उप लोकायुक्त के निज सचिव	सेवा संवर्ग वेतनमान+75 स्पेशल पे
33.	शीघ्रलेखक श्रेणी—2	5500—175—9000
34.	सहायक श्रेणी—एक	5000—150—8000
35.	शीघ्रलेखक श्रेणी—तीन	4500—125—7000
36.	ऑडीटर	5000—150—8000
37.	सहायक श्रेणी—दो	4000—100—6000
38.	लायब्रेरियन (उच्च श्रेणी लिपिक)	4000—100—6000
39.	स्टेनोटाईपिस्ट	3050—75—4590+रूपये 125 स्पेशल पे
40.	सहायक श्रेणी—तीन	3050—75—4590
41.	अंग्रेजी टाईपिस्ट	3050—75—3950—80—4590
42.	वाहन चालक	3050—75—3950—80—4590
43.	मोटरसाईकिल चालक (नियमित नैमित्तिक)	3050—75—3950—80—4590
44.	वाहन चालक (नियमित नैमित्तिक)	3050—75—3950—80—4590
45.	दफतरी	2610—60—3150—65—3540+ 50 स्पेशल पे
46.	जमादार	2610—60—3150—65—3540
47.	भृत्य	2550—55—3200
48.	फर्राश/चौकीदार	2550—55—2660—60—3200
49.	माली (नियमित नैमित्तिक)	2550—55—2660—60—3200
50.	वाटरमैन (नियमित नैमित्तिक)	2550—55—2660—60—3200
51.	स्वीपर पार्ट टाईम	जिलाध्यक्ष दर पर
52.	माली पार्ट टाईम	जिलाध्यक्ष दर पर
53.	चौकीदार	जिलाध्यक्ष दर पर
54.	वाटरमैन	जिलाध्यक्ष दर पर
55.	दफतरी	जिलाध्यक्ष दर पर
56.	माली	जिलाध्यक्ष दर पर
57.	चौकीदार (नियमित नैमित्तिक)	2550—55—2660—60—3200
58.	स्वीपर (नियमित नैमित्तिक)	2550—55—2660—60—3200

अध्याय–10

लोकायुक्त संगठन को आवंटित बजट

(सूचना के अधिकार की धारा 4 (1) (b) (xi) के अंतर्गत)

लोकायुक्त संगठन को वित्तीय वर्ष 2011–2012 में रूपये का आवंटन प्राप्त हुआ है। संगठन का व्यय नॉन–प्लान के अंतर्गत है जिसमें वेतन, कार्यालयीन व्यय मुख्य रूप से है।

स्वीकृत बजट	प्राप्त आवंटन
रूपये	रूपये

अध्याय–11

अनुदान, सहायता कार्यक्रमों के अंतर्गत व्यय राशि व लाभांवितों से संबंधित जानकारी

(सूचना के अधिकार की धारा 4 (1) (b) (xii& xiii) के अंतर्गत)

लोकायुक्त संगठन भ्रष्टाचार निवारण हेतु गठित संस्था है। अतः उपरोक्त विषय से संबंधित जानकारी निरंक है।

अध्याय–12

इलेक्ट्रानिक रूप में उपलब्ध जानकारी

(सूचना के अधिकार की धारा 4 (1) (b) (xiv) के अंतर्गत)

संगठन से संबंधित जानकारी संगठन की वेबसाईट http://www.mplokayukt.nic.in पर उपलब्ध है।

अध्याय–13

सूचना प्राप्त करने के लिये नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं का विवरण

(सूचना के अधिकार की धारा 4 (1) (b) (xv) के अंतर्गत)

लोकायुक्त संगठन से संबंधित सूचनाओं को जनता तक पहुंचाने हेतु निम्नानुसार व्यवस्थायें हैं :––

1. संगठन के सूचना पटल पर आवश्यक एवं महत्वपूर्ण जानकारियों का प्रकाशन समय–समय पर किया जाता रहा है।
2. अखबारों के माध्यम से
3. संगठन में संबंधित अनावेदकगणों (शिकायत से संबंधित) को अभिलेखों के अवलोकन एवं निरीक्षण की सुविधा उपलब्ध है।
4. लोकायुक्त संगठन की वेबसाईट प्रचलित है। जिसका पता http//www.mplokayukt.nic.in है।
5. संगठन का वार्षिक प्रतिवेदन

अध्याय–14

लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम एवं अन्य विवरण

(सूचना के अधिकार की धारा 4 (1) (b) (xvi) के अंतर्गत

सूचना के अधिकार अधिनियम–2005 की धारा 5 (1) एवं 19 (1) के अनुसार लोक आयुक्त संगठन में निम्नानुसार लोक सूचना अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारियों की नियुक्ति की गई है :––

स.क्रं.	लोकायुक्त संगठन के कार्य के प्रभार का विवरण	अधिनियम की धारा–5(1) के तहत लोक सूचना अधिकारी का नाम, पदनाम एवं दूरभाष क्रमांक	अधिनियम की धारा 19(1) के तहत अपीलीय अधिकारी का नाम, पदनाम एवं दूरभाष क्रमांक	कार्यालय का पता
1.	2.	3.	4.	5
1.	विशेष पुलिस स्थापना	श्री सिद्वार्थ चौधरी पुलिस अधीक्षक 2540936	श्री अशोक अवस्थी महानिरीक्षक 2540936	लोकायुक्त कार्यालय, (वि.पु.स्था.) एफ ब्लाक, पुराना सचिवालय, भोपाल
2.	तकनीकी शाखा	श्री एन.एस. जौहरी अधीक्षण यंत्री 2541141	सचिव 2540939	लोकायुक्त कार्यालय, एफ ब्लाक, पुराना सचिवालय, भोपाल
3.	शिकायत एवं जांच शाखा,	श्रीमती मनीषा सेंतिया उप सचिव 2540948	सचिव 2540939	लोकायुक्त कार्यालय, एफ ब्लाक, पुराना सचिवालय, भोपाल

सूचना के अधिकार अधिनियम–2005 की धारा 5 (1) एवं 19 (1) के अनुसार लोक आयुक्त संगठन के विशेष पुलिस स्थापना (संभागीय कार्यालयों) में निम्नानुसार सहायक लोक सूचना अधिकारी, लोक सूचना अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारियों की नियुक्ति की गई है :––

क्रं.	विशेष पुलिस स्थापना (लोकायुक्त संगठन) के कार्य के प्रभार का विवरण	अधिनियम की धारा–5 के तहत लोक सूचना अधिकारी एवं सहायक लोक सूचना अधिकारी का नाम एवं पदनाम	अधिनियम की धारा 19 (1) के तहत प्रथम अपीलीय अधिकारी का नाम एवं पदनाम
1.	2.	3.	4.
1.	कार्यालय पुलिस अधीक्षक विशेष पुलिस स्थापना लोक आयुक्त कार्यालय भोपाल संभाग	श्री सिद्वार्थ चौधरी पुलिस अधीक्षक एवं लोक सूचना अधिकारी	श्री अशोक अवस्थी महानिरीक्षक
2.	कार्यालय पुलिस अधीक्षक विशेष पुलिस स्थापना जबलपुर संभाग	श्री मनीष कपूरिया पुलिस अधीक्षक एवं लोक सूचना अधिकारी	श्री अशोक अवस्थी महानिरीक्षक
3.	कार्यालय पुलिस अधीक्षक विशेष पुलिस स्थापना इंदौर संभाग	श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह पुलिस अधीक्षक एवं लोक सूचना अधिकारी	श्री अशोक अवस्थी महानिरीक्षक
4.	कार्यालय पुलिस अधीक्षक विशेष पुलिस स्थापना उज्जैन संभाग	श्री अरूण कुमार मिश्रा पुलिस अधीक्षक एवं लोक सूचना अधिकारी	श्री अशोक अवस्थी महानिरीक्षक
5.	कार्यालय पुलिस अधीक्षक विशेष पुलिस स्थापना ग्वालियर संभाग	श्री एस.एस. गौर पुलिस अधीक्षक एवं लोक सूचना अधिकारी	श्री अशोक अवस्थी महानिरीक्षक

6.	कार्यालय पुलिस अधीक्षक विशेष पुलिस स्थापना रीवा संभाग	श्री मिथिलेश कुमार शुक्ला पुलिस अधीक्षक एवं लोक सूचना अधिकारी	श्री अशोक अवस्थी महानिरीक्षक
7.	कार्यालय पुलिस अधीक्षक विशेष पुलिस स्थापना सागर संभाग	**श्री धमेन्द्र भदौरिया** पुलिस अधीक्षक एवं लोक सूचना अधिकारी	श्री अशोक अवस्थी महानिरीक्षक
8.	विशेष पुलिस स्थापना की मुख्यालय स्तर पर पूर्वी क्षेत्र (ग्वालियर, रीवा एवं सागर) की जानकारी हेतु	1. श्री सिद्वार्थ चौधरी, पुलिस अधीक्षक, लोक सूचना अधिकारी 2. अनुभाग अधिकारी एवं सहायक लोक सूचना अधिकारी	श्री अशोक अवस्थी महानिरीक्षक विशेष पुलिस स्थापना
9.	विशेष पुलिस स्थापना की मुख्यालय स्तर पर पश्चिमी क्षेत्र (भोपाल, जबलपुर, इंदौर एवं उज्जैन) की जानकारी हेतु	1. श्री सिद्वार्थ चौधरी पुलिस अधीक्षक, लोक सूचना अधिकारी 2. अनुभाग अधिकारी एवं सहायक लोक सूचना अधिकारी	श्री अशोक अवस्थी महानिरीक्षक विशेष पुलिस स्थापना
10.	विशेष पुलिस स्थापना के स्थापना संबंधित व अन्य प्रशासनिक कार्य (मुख्यालय)	1. श्री सिद्वार्थ चौधरी पुलिस अधीक्षक, लोक सूचना अधिकारी 2. अनुभाग अधिकारी एवं सहायक लोक सूचना अधिकारी	श्री अशोक अवस्थी महानिरीक्षक विशेष पुलिस स्थापना

अध्याय–15

अन्य उपयोगी जानकारियॉ
(सूचना के अधिकार की धारा 4 (1) (b) (xvii) के अन्तर्गत

लोकायुक्त संगठन से संबंधित सूचना प्राप्त करने के लिये विस्तृत निर्देश, आवेदन पत्र का प्रारूप, विहित फीस एवं आवेदन प्रस्तुत करने का स्थान नियत है। कोई भी व्यक्ति जो सूचना के अधिकार के तहत जानकारी प्राप्त करना चाहता है वह संगठन के मुख्यालय लोकायुक्त कार्यालय एफ ब्लाक पुराना सचिवालय,भोपाल में कार्यालयीन समय 10.30 से 5.30 के मध्य संबंधित लोक सूचना अधिकारी से संपर्क कर सकता है।

2. सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (कमांक–22 सन् 2005) की धारा 27 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा नियम बनाये गये है जिन्हें संगठन द्वारा अपनाया गया है।

3. अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (4) के अन्तर्गत अधिनियम के अधीन जानकारी/सामग्री प्राप्त करने हेतु प्रत्येक वह व्यक्ति जो गरीबी रेखा के नीचे नहीं है उसके लिए रूपये 10/–के नॉन ज्यूडीशियल स्टाम्प के साथ या नगद भुगतान कर उसकी रसीद के साथ उपस्थित होकर संगठन के लोक सूचना अधिकारी को आवेदन प्रस्तुत करेगा। यदि आवेदन डाक द्वारा भेजा जाता है तो रूपये 10/–नॉन ज्यूडीशियल स्टाम्प को संलग्न किया जाएगा ।

4. आवेदन प्राप्त होने पर सूचना की विषय वस्तु, छपाई, लागत जैसी लोक सूचना अधिकारी के द्वारा नियत की जाय, नगद या नान ज्यूडीशियल स्टाम्प के रूप में लोक सूचना अधिकारी के पास आवेदनकर्ता जमा करेगा । यदि राशि नगद जमा करायी जाती है तो सूचना अधिकारी द्वारा निर्देशित अधिकारी द्वारा उसकी रसीद दी जाएगी एवं ऐसी जमा की गई राशि कोषालय में चालान के द्वारा जमा की जाएगी। यदि आवेदक किसी दस्तावेज या अभिलेख का निरीक्षण करना चाहता है तो लोक सूचना अधिकारी अपने अधीनस्थ अधिकारी को प्रतिनियुक्त करेगा और उसके लिये एक घंटे या उससे कम के लिए रूपये 50/–का भुगतान किया जाएगा और तद्पश्चात् प्रत्येक 15 मिनिट या उसके भाग के लिए रूपये 25/–नगद या नॉन ज्यूडीशियल स्टाम्प के रूप में भुगतान किया जाना होगा।

5. यदि अभिलेख का साइज ए–3 कागज के समान है तो दो रूपये प्रति पृष्ठ तथा ए–4 साईज के समान है तो रूपये एक रूपये प्रति पृष्ठ शुल्क देय होगा। यह शुल्क नगद या नॉनज्यूडीशियल

स्टाम्प के रूप में दिया जा सकेगा। यदि जानकारी विस्तृत स्वरूप की होगी तो उसके लिए देय राशि पृथक से लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित की जाएगी।

6. यदि आवेदन पत्र डाक से भेजा जाता है तो आवेदन पत्र मय शुल्क के डाक व्यय सहित आवेदक का पता लिखा हुआ लिफाफा साथ में भेजा जायेगा ताकि जानकारी दिये गये पते पर प्रेषित की जा सके।

6. बी0पी0एल सूची के सदस्यों को डाक व्यय देय नहीं होगा।

संगठन में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जानकारी प्राप्त करने हेतु आवेदन का प्रारूप निम्नानुसार हैः–

प्रति,

लोक सूचना अधिकारी,
लोकायुक्त संगठन मुख्यालय,
एफ ब्लाक पुराना सचिवालय,
भोपाल (मध्यप्रदेश)

विषयः–सूचना के अधिकार–2005 की धारा–6 (1) के अन्तर्गत जानकारी उपलब्ध कराने के संबंध में।

मुझे निम्नलिखित जानकारी सूचना के अधिकार के तहत एक माह के भीतर उपलब्ध कराने का कष्ट करें। मेरे द्वारा निर्धारित शुल्क नगद रूपये 10–/नॉन ज्यूडीशियल स्टाम्प संलग्न है।

1..

2..

3..

4..

5..

2. उपरोक्त जानकारी के अलावा मैं अभिलेखों का भी अवलोकन करना चाहता हूॅ जिसके लिऐ मैं नियत शुल्क देने के लिए तैयार हूॅ। 3. मैं गरीबी रेखा के नीचे आता हूॅ जिसका प्रमाण पत्र संलग्न है। अतः मुझे निर्धारित शुल्क से छूट प्रदान की जावें।

आवेदक का नाम एवं हस्ताक्षर
पत्र व्यवहार का पूर्ण पता मय टेलीफोन,
ई–मेल तथा फैक्स इत्यादि की जानकारी सहित।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत लोकायुक्त संगठन की सूचना की हस्त पुस्तिका

Information Handbook of Lokayukt Organization under Right to Information Act 2005

______